



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03082022-237855
CG-DL-E-03082022-237855

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3454]
No. 3454]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 2, 2022/श्रावण 11, 1944
NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 2, 2022/SHRAVANA 11, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 अगस्त, 2022

का.आ. 3620(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे दी गयी अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट राष्ट्रीय राजमार्ग-734 के मुरादाबाद-काशीपुर (काशीपुर बाईपास सहित) के कि.मी. 39+750 से कि.मी. 53+250 तक के भूखण्ड के संबंध में उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन हेतु उक्त अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का पालन करने के लिए इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

उत्तराखंड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-734 के मुरादाबाद - काशीपुर (काशीपुर बाईपास सहित) के कि.मी. 39+750 से कि.मी. 53+250 तक की भूमिका अर्जन।

क्रमिक संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूमि का विवरण	राज्य	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी उधम सिंह नगर/नैनीताल	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या	उत्तराखंड	उधम सिंह नगर	काशीपुर	1 खरमासी

	()	NH734 के कि.मी. 41 से 52.2 तक			
--	----	--	--	--	--

[फा. सं. 19002/3/LA-Kashipur-1/2021/PIU-Brly]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 2nd August, 2022

S.O. 3620(E).— In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land from Km. 39+750 to Km. 53+250 of Moradabad - Kashipur including Kashipur bypass of NH-734 for building (four/ six - laning, etc.), maintenance, management and operation in the State of UTTARAKHAND.

SCHEDULE

Land acquisition on National Highway No. 734 in respect of the stretch of land from Km. 39+750 to Km. 53+250 of Moradabad - Kashipur including Kashipur bypass in the State of UTTARAKHAND.

Sl. No.	CALA	Stretch	State	District	Taluk/Mandal	Name of the Village
1	2	3	4	5	6	7
1	Special Land Acquisition Officer Udhham Singh Nagar/Nainital ()	41KM To 52.2KM	UTTARAKHAND	UDHAM SINGH NAGAR	Kashipur	1 Kharmasi

[F. No. 19002/3/LA-Kashipur-1/2021/PIU-Brly]

RAJESH GUPTA, Director